मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन भोपाल 462004

क्रमांक 447/2223/98/1/9

भोपाल, दिनांक 9-3-99.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—निलम्बित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन.

वर्तमान में निलम्बित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है. गोपनीय चरित्रावली में शासकीय सेवकों के द्वारा पूरे वर्ष में किये गये कार्य का समग्र मूल्यकांन के आधार पर उनके कार्यों के संबंध में टीप अंकित की जाती है. निलम्बित शासकीय सेवकों द्वारा निलंबन अवधि में कोई शासकीय कार्य नहीं किया जाता है. अत: निलम्बित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में सामान्यत: "कोई टीप नहीं" अंकित किया जाता है. अब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निलम्बित शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय संबंधित अधिकारी द्वारा इस आशय का भी मतांकन किया जाना चाहिये कि निलम्बित शासकीय सेवक निलंबन की अवधि में मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित तो नहीं रहा है, तथा उसके द्वारा कोई व्यवसाय,नौकरी आदि तो नहीं की जा रही है. यदि उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है तो इस संबंध में टीप दी जाये कि उसके द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है अथवा नहीं.

2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.